सूचना का अधिकार

अधिनियम 2005 सम्बन्धी मैनुअल का संग्रह पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला
कोट्द्वार गढ्वाल

प्रस्तावना

भारत एक कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश पर्वतीय क्षेत्र में आदिकाल से भेड़,बकरी पालन का व्यवसाय था । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक के आधार पर पर्वतीय क्षेत्रों में कुक्कुट पालन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कुक्कुट पालन की योजना चलाई है ।

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा वर्ष 1882 में सिविल वेटनरी विभाग की स्थापना की गई जिसका उदेश्य प्रदेश में अश्व उत्पादन को प्राथमिकता देना था, इनके अन्तर्गत बावूगढ़ (मेरठ) में एक डिपो खोला गया, जहां सामान्य प्रबन्धक के साथ–साथ प्राथमिक चिकित्सा तथा अश्व प्रदर्शनी, मेलों का आयोजन कराया जाता था। इसको प्रभावी बनाने हेतु सन् 1901 में सात पशुचिकित्सालयों की स्थापना की गई।

वर्ष 1899 में ग्लाईन्डर एण्ड फारसी तथा 1910 में पशु फार्म मदूरा (लखीमपुर) एवं वर्ष 1913 में माधुरी कुण्ड (मथुरा) में स्थापित किये गये पंजाब पशु चिकित्सा विद्यालय लाहौर में पशु सम्बन्धी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई।

वर्ष 1916 में पशुपालन के कार्यों को गति देने के लिए डिप्टी सुपरिटेन्डों के अधीन रखकर तीन सर्किलों को बांटा गया तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को जिला परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट 1972 के लागू होने पर कार्यों में आयी समस्यों के फलस्वरूप इस वर्ष केटिल ब्रीडिंग कार्य हेतु मझरा फार्म (खीरी) माधुरी कुण्ड स्टेशन खोले गये । वर्ष 1933 में सब सर्किलों को समाप्त करते हुए वर्ष 1935 में वेटनरी इन्वेस्टिगशन आफीसर नियुक्त किये गये। पशु प्रजनन का कार्य कृषि विभाग द्वारा संतोषजनक न होने के कारण वर्ष 1939 में यह कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट को सोंप दिया गया इस प्रकार 1944 तक धीरे–धीरे पशु सम्बन्धी सभी कार्य सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट को स्थानान्तरित कर दिये गये।

1 अप्रैल 1944 में निदेशक पशुपालन विभाग की स्थापना की गयी जिसके द्वारा वर्ष 1946 तक सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट के सभी कार्य निदेशक पशुपालन विभाग के नियंत्रण में ग्रहण कर लिए गये ।

पशुपालन निदेषालय स्थापित होने के पश्चात पशु, लघु पशु, मछली, कुक्कुट, डेरी, गौशाला, रोग नियंत्रण एवं बचाव कार्य हेतु विभिन्न पदों की स्थापना की गई वर्ष 1945 से वैक्सीन एवं सीरम के निर्माण हेतु वी0पी0 सेक्शन गर्भाधान व बांझपन हेतु एनिमल जेनेटिस्ट की नियुक्ति की गई व वर्ष 1946 में माधुरी कुण्ड

(मथुरा) क्षेत्रीय पशुधन अनुसंधान केन्द्र खोला गया ।

1947 पशुचिकित्सालय नियंत्रण हेतु यू0पी0 प्रोविलाइजेशन ऑफ हास्पिटल एक्ट वेटनरी प्रेक्टिशनर के पंजीकरण हेतु यू0पी0 वेटनरी कौन्सिल एक्ट पारित किये गये ।

वर्ष 1935 में गौ संवर्धन इनक्वायरी कमेटी का गठन किया गया जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश गौवध निवारण अधिनियम 1955 अस्तित्व में आया आने वाले समय की मांग को देखते हुए क्रमशः 1947 एवं 1960 में पशु चिकित्सा विभाग एवं पशुपालन महाविद्यालय मथुरा एवं पंतनगर (नैनीताल) की स्थापना की गई, जिसके अन्तर्गत चार वर्षीय बी0वी0एस0सी0 तथा 2 वर्षीय एम0वी0एस0सी0 पाठ्यक्रमों की शुरूआत हुई ।

वर्ष 1964 में यू0पी0 लाइवस्टोक डेवलपमेन्टएक्ट यू0जी0 गौशाला एक्ट पारित किये गये एवं इसके अतिरिक्त यू0पी0 काउन्सिलेटर नियम बनाये गये ।

उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित पशुपालन निदेशालय में सर्वप्रथम निदेशक की सहायता हेतु अपर निदेशक, उप निदेशक, मुख्यालय लघु पशु(विलेज स्कीम) (रिन्डरपेस्ट) बनाये गये इसके अतिरिक्त निम्न अनुभाग, पशुपालन अनुभाग, सामान्य अनुभाग, आडिट एवं लेखा, स्थापना योजना, सांख्याकी, पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र स्थापित किये गये, पशुधन विकास के अन्तर्गत नस्ल सुधार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कालसी फार्म देहरादून तथा चकगंजरिया (लखनऊ) पर यह योजना चलायी गई एवं बुल रियरिंग फार्म (मथुरा) तथा एटा (जालौन) निदेशक के नियंत्रण में स्थापित किये गये और ग्रामीण जनपदों को लाभ देने के लिए राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र पशुपालन विभाग के अन्तर्गत 14 प्रक्षेत्रों पर काम किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केन्द्र पशुलोक ऋषिकेश एवं राजकीय पशुधन वं दुग्धशाला प्रक्षेत्र कालसी देहरादून स्थापित हुए ।

पशुपालन विभाग कार्यों को समुचित गति देने के लिए जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिला पशुधन अधिकारी परिवर्तित पदनाम मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के पदों का सृजन किया गया। उत्तराखण्ड राज्य के पृथक होने से वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में 13 मुख्य पशु चिकित्साधिकरी कार्यरत है। जिनमें से 7 गढ़वाल मण्डल एवं 6 कुमायूं मण्डल के अन्तर्गत कार्यरत है।

उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न बोर्ड एवं कार्यालय, पशुचिकित्सालय पशु सेवा केन्द्र, भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्र, मेढा केन्द्र, भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र आदि के माध्यम से पशुपालको को सुविधाऐं उपलब्ध करायी जा रही है।

मात्र हरिद्वार एवं रूद्रप्रयाग जनपद को छोड़ते हुये कुक्कुट पालन हेतु प्रत्येक जनपद में मुख्य तकनीकी अधिकारी सघन कुक्कुट विकास प्रयोजना की स्थापना हुई एवं पशुओं तथा कुक्कुट पक्षियों में होने वाले रोगों के निदान हेतु दोनों मण्डलों में रोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई जो कि गढ़वाल मण्डल में कोटद्वार, पौडी एवं श्रीनगर, जनपद पौडी में स्थापित है एवं कुमाऊं मण्डल में रूद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर में तथा हवालबाग, जनपद अलमोडा में स्थापित है। कुक्कुट विकास के लिये कुक्कुट विकास बोर्ड की स्थापना की प्रबल सम्भावना है।

मैनुअल 1

संगठन की विशिष्टियां
कृत्य एवं कर्तव्य

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कोटद्वार की प्रस्तावना/सूचनाएं

राजाज्ञा संख्या 3798/78–8–85–2/17–प/85 दिनांक 27.02.86 के द्वारा कुक्कुट पक्षियों के रोग निदान एवं उपचार हेतु कुक्कुट रोग निदान प्रयोगषाला की स्थापना हुई । मण्डल स्तर पर किसी भी स्थान पर कुक्कुट पक्षियों के रोगों के रोकथाम हेतु सूचना प्राप्त होते ही रोगों के निदान हेतु उस स्थान पर जाया जाता है ।

उत्तराखन्ड शासन के शासनादेश संख्या 4184/ ग्त–1 /09 /02(96) 105 दिनांक 22–12–2009 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस प्रयोगशाला में कुक्कुट वंशीय पक्षियों की बीमारी के रोकथाम के साथ– साथ अन्य सभी प्रजाति के पशुओं की बीमारी के रोकथाम हेतु विभिन्न परीक्षण कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं।

वर्ष 2016–17 में प्रयोगशाला के कार्यों की भौतिक प्रगति विवरण निम्न प्रकार है।

PROGRESS OF LABS YEAR 2016-17

Name of lab - Disease Investigation Lab Kotdwar Month- MARCH 2017

S.no	particulars of test	monthly	cumulative	remark
1	blood samples	-	800	
2	faecal samples	445	5000	
3	tuberculosis	-	20	
4	paratuberculosis	-	-	
5	mastitis	2	102	
6	skin scrapping	123	1500	
7	samples reffered to other laboratories	50	553	
8	other test			
a	urine analysis		200	
b	antibiotic sensitivity test	-	74	
c	biochemist	22	200	
d	morbid tissue	-	-	
e	post mortem	-	13	
f/g	leukogram/haemogram		1000	
h	outbreak attended	-	-	
i	brucellosis	-	100	
	total	642	9562	

उद्देश्य -

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कोटद्वार का मूल उद्देश्य पशुओं की चिकित्साए रख–रखाव व कुक्कुट पालकों को कुक्कुट पक्षी पालने हेतु सुझाव एवं कुक्कुट पालन हेतु कृषकों को प्रोत्साहित करना है। प्रयोगशाला में निम्नलिखित जांच की जाती है ।

1. पशु जिनका निम्नलिखित परीक्षण किया जाता है ।

अ. ट्यूबर क्लोसिस

ब. थनैला

2. शरीर के रक्त नमूनों की जांच
3. स्किन स्क्रैपिंग की जांच
4. एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट
5. मूत्र के नमूनों की जांच
6. फीकल नमूनों में गोल कृमि, फीता कृमि, लीवर फ्ल्यू, टोक्सीडिया,
7. शव विच्छेदन

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1984–85 में संघन कुक्कुट विकास प्रयोजनाओं की स्थापना की गई, जिनके माध्यम से चूजा वितरण, कुक्कुट ईकाइयों एवं प्रक्षेत्रों की स्थापना करवाना, इच्छुक कुक्कुट पालकों को प्रशिक्षण देना आदि तथा कुक्कुट बीमारियों की रोकथाम हेतु मण्डल के अन्तर्गत कोटद्वार में कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला व पशुओं की बीमारी एवं रोकथाम हेतु मण्डल मुख्यालय पर मण्डलीय प्रयोगशाला की स्थापना की गई इनका उद्देश्य मण्डल के अर्न्तगत पशुओं एवं कुक्कुट पक्षियों की बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है।

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना 9.11.2000 को 27वें राज्य के रूप में उदय हुआ, उत्तराखण्ड एंक कृषि प्रधान राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 53483 वर्ग किमी0 है, उत्तराखण्ड कृषि प्रधान राज्य होने के कारण कृषि का बढ़ावा देने के लिए पशुधन भी अति आवश्यक है, पशुधन व्यवसाय के कृषकों को जीवकोपार्जन क साधन भी उपलब्ध होते है।

संगठन के कर्तव्य :–

पशुपालन विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रमों का अनुश्रवण, पर्यवेक्षण निरीक्षण, सर्वेक्षण कर आवश्यक मार्गदर्शन करना तथा पशुपालकों को पशुपालन व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा पशुओं की नस्ल सुधार करने हेतु कार्य करना साथ ही मण्डल के अन्तर्गत पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए आवश्यक जांच कर रोग निदान हेतू मार्गदर्शन कराना है।

संगठन के मुख्य कार्य :–

उत्तराखण्ड में पशुपालन व्यवसाय मुख्य व्यवसाय के रूप में परम्परागत रूप से किया जाता है, विभाग का मुख्य कृत्य पशुपालकों के पशुओं में नस्ल सुधार करना दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि करना, व पशुओं के रोगो का निदान की गई तकनीकों की जानकारी प्रदान करना है। इसके साथ–साथ पशुओं को पौष्टिक चारा उपलब्ध करने हेतु चारा बीज वितरण करना है।

संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण :–

पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों को पशु चिकित्सा, टीकाकरण, दवापान, दवास्नान, बधियाकरण आदि सुविधाये प्रदान करना, विभागीय संस्थाओं के माध्यम से पशुपालकों को उन्नत नस्ल के गाय/भैंसो सांड एवं राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्रों भेड़ एवं ऊन प्रसार केन्द्रों से भेड़ पालकों को विदेशी/क्रासब्रीड मेढों का अंशदान पर वितरित करना, बहुद्देशीय सेवा केन्द्रों के माध्यम से प्रवास मार्गो पर उक्त सुविधा उपलब्ध करना तथा ऊन शियरिंग ग्रेडिंग केन्द्रों द्वारा शियरिंग तथा विभागीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सचल पशु चिकित्सालयों के द्वारा उचित विभागीय सुविधायें अनुमन्य कराना है।

संगठन का संक्षिप्त इतिहास और उसके गठन का प्रसंग :–

पशुपालन विभाग का मुख्य उद्देश्य पशुचिकित्सा, नस्ल सुधार कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं ऊन उत्पादन करना है। उन्नत नस्ल को बढ़ावा देकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है, ताकि पशुपालकों का जीवन स्तर में सुधार हो सके । उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से विभागीय संस्थाओं के माध्यम से उन्नत नस्ल के साण्डों का वितरण, एवं उत्तराखण्ड शीप डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से उन्न्त नस्ल के मेढ़ो का वितरण पशुपालकों का जीवन स्तर में सुधार लाना है। पशुओ में होने वाले विभिन्न रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, दवापान, दवास्नान आदि सुविधायें प्रदान करना है।

जन सहयोग करन के लिए विधि व्यवस्था :–

पशुपालन विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार कर जन सहयोग प्राप्त करना ।

जन सेवाओं के अनुश्रवण :–

मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारयों के माध्यम से अनुश्रवण एवं शिकायतों का निराकरण किया जाता है।

मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों के पते :–

1. अपर निदेशक पशुपालन विभाग गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (जनपद स्तर पर) ।
3. मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) जनपद स्तर पर ।
4. पशु चिकित्साधिकरी (विकास क्षेत्र स्तर पर) ।
5. पशुधन प्रसार अधिकारी (न्याय पंचायत स्तर पर) ।

कार्यालय खुलने एवं बन्द होने का समय :–

प्रातः 10 बजे से सांय 5 बजे तक ।

मैनुअल 2

अधिकारियों कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य

क्र. सं.	पदनाम	प्रशासकीय	वित्तीय	कर्तव्य
1.	रोग अनुसंधान अधिकारी	प्रशासकीय अधिकार प्रयोगशाला के अपने प्रतिष्ठान के है।	वित्तीय अधिकार पशुचिकित्साधिकारी पशुचिकित्सालय कोट्द्वार के पास वेतन आहरण के कारण है।	कुक्कुट पक्षियों व अन्य पशुओं में फैली बीमारी की रोकथाम एवं नियंत्रण करना जिस क्षेत्र में बीमारी की सूचना मिलती है बीमारी के परीक्षण हेतु उचित उपाय करना
2.	पशु चिकित्साधिकारी (प्रयोगशाला)	–	–	रोग अनुसंधान अधिकारी का सहयोग एवं उनके मार्ग निर्देश पर कार्य करना
3.	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ	–	–	पशुचिकित्साधिकारी का सहयोग एव उनके निर्देशानुसार कार्य करना
4	प्रयोगशाला परिचर	–	–	पशुचिकित्साधिकारी एवं प्रयोगाला सहायक को सहयोग देना

विभागीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य तकनीकी अधिकरी (कुक्कुट) पशुचिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी, वेटनरी फार्मासिस्ट, चारा पर्यवेक्षण अन्वेक्षक कम संगणक, लिपिक, वाहन चालक अनुसेवक आदि सृजित पदों के पदधाराकों के अधिकार एवं कर्तव्य निम्नवत् है।

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी :–

जनपद मुख्यालय पर प्रत्येक जनपद में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जनपद में संचालित की जा रही विभिन्न विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु उत्तरदायी है उनके द्वारा जनपद में कार्यरत अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना एवं, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु शासन द्वारा आवंटित बजट का समय पर उपयोग करने का भी उत्तरदात्यिव मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का है, इसके अतिरिक्त विभागीय संस्थाओं का सामयिक निरीक्षण एवं अभिलेखों का उचित रख रखाव करना है।

मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) :–

जनपद हरिद्वार एवं रूद्रप्रयाग को छोड़कर अन्य जनपदों में मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) के पद सृजित है, जिनके अधीनस्थ पशुधन प्रसार अधिकारी (कु0) के पद सृजित है, इन कर्मिकों का कर्तव्य जनपदों में कुक्कुट पालन व्यवसाय को प्रोत्साहित करना, कुक्कुट इकाईयों एवं प्रक्षेत्रों की स्थापना करवाना, इच्छुक कुक्कुट पालकों को कुक्कुट प्रशिक्षण का आयोजन कर कुक्कुट प्रश्रिक्षण देना एवं क्षेत्र में चूजा वितरण, कुक्कुट रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण करना है।

पशु चिकित्साधिकारी :–

पशुचिकित्साधिकारी का कार्य पशुनस्ल सुधार कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करना पशुचिकित्सालय क्षेत्रान्तर्गत फैलने रोगों के रोकथाम हेतु टीकाकरण करना साथ–साथ पशुचिकित्सालय के क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों का प्रशासनिक नियंत्रण रखना है, पशु चिकित्साधिकारी का दात्यिव क्षेत्र में क्रय किये जाने पशुओं की जांच कर स्वस्थता प्रमाण पत्र देना, पशु वधशालाओं में वध किये जाने वाले पशुओं की स्वस्थ्यता की जांच करना एवं अधीनस्थ पशु सेवा केन्द्रों के भण्डार का वार्षिक सत्यापन करना व रख–रखाव व निर्देशन करना ।

पशुधन प्रसार अधिकारी :–

पशुधन प्रसार अधिकारी का मुख्य कर्तव्य क्षेत्रान्तर्गत पशु नस्ल सुधार कार्य, पशु चिकित्सा, टीकाकरण, बधियाकरण, चारा बीज वितरण, विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर पशुपालकों को जानकारी देना तथा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में प्रेरित करना क्षेत्र में फैलने वाली संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण करना व गम्भीर बीमारी फैलती हो तो व सूचना उच्च अधिकारियों को देना, पशु सेवा केन्द्र पर रखे जाने वाले अभिलेखों का उचित रख–रखाव करना है।

वाहन चालक :–

वाहन चलाना तथा वाहन का रख रखाव करना ।

मैनुअल 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिस्में पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं।

पशु पालन विभाग

पशुपालन की स्थापना जनपदों में खेत क्रान्ति एवं पालतू पशुओं के विकास की दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये की गयी है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन पशु पालन विभाग, निदेशक पशुपालन विभाग के नियंत्रणाधीन था, वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हो जाने के फलस्वरूप एक महत्वपूर्ण विभाग है। वर्तमान में विभाग राज्य स्तर पर अपर निदेशक, मण्डल स्तर पर उपनिदेशक, जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, विकास खण्ड स्तर पर पशु चिकित्साधिकारी, एवं न्याय पंचायत स्तर पर पशुधन प्रसार अधिकारी कार्यरत है।

पशुपालन विभाग के अन्तर्गत प्रयुक्त की जाने वाली औषधियों/वैक्सीन उपकरण आदि के क्रय हेतु नीति निर्धारण :–

क्रय हेतु राज्य स्तरीय विषेशज्ञ समिति राज्य स्तरीय क्रय दर अनुबन्ध समिति एंव जिला स्तरीय समिति का गठन एवं दाईत्व निम्नवत परिभाषित किया जाता है।

1.	अपर निदेशक/संयुक्त उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग मुख्यालय उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2.	संयुक्त निदेशक (गौवध विकास) रोग नियंत्रण पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड	सदस्य संयोजक
3.	औषधि नियंत्रण उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद	सदस्य
5.	प्रोफेसर ऑफ मेडिसन या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि वेटनरी साइन्स पन्तनगर विष्वविद्यालय पन्तनगर–प्रोफेसर ऑफ सर्जरी या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि कालेज ऑफ वेटनरी साइन्स पन्तनगर विश्वविद्यालय पन्तनगर	सदस्य

यह समिति औषधि/वैक्सीन सर्जिकल उपकरण, गॉज, ड्रेसिंग, उपकरण तरल नत्रजनल पात्र कृत्रिम गर्भाधन प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों, अतिहिमीकृत वीर्य आदि आवष्यकता के सन्दर्भ में विशिष्टियों एवं मानकों को ध्यान में रखते हुए मात्रा निर्धारण करेगी । इसके सदस्य संयोजक समिति के सदस्यों को समस्त वांछित सूचनायें समय–समय पर उपलब्ध करायेगें, इसके सदस्य संयोजक का यह भी दात्यिव होगा कि समिति की बैठक के अनुमोदित कार्यवृत्त को सभी सदस्यों एवं शासन को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें, तथा किसी सदस्य एवं शासन द्वारा आपत्ति किये जाने पर नियमानुसार निराकरण सुनिश्चित करें, एवं अन्तिम रूप से चयनित सूची को राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को समय–समय पर प्रेषित करें ।

राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति

1.	निदेशक पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	अध्यक्ष
2.	उद्योग निदेशक , अथवा उद्योग निदेशक द्वारा नामित संयुक्त निदेशक उद्योग	सदस्य
3.	वित्त विभाग उत्तराखण्ड द्वारा नामित वरिष्ठ कोषाधिकारी एवं उनके समकक्ष स्तर का अधिकारी	सदस्य
4.	शासन द्वारा नामित एवं विषय विशेषज्ञ	सदस्य
5.	औषधि नियंत्रक उत्तराखण्ड द्वारा नामित एक अधिकारी/विषय विशेषज्ञ	सदस्य

यह समिति औषधियों/वैक्सीन एवं उपकरणों आदि की निविदा आमंत्रित कर दर अनुबन्ध करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी की उत्तम गुणवत्ता की औषधि/वैक्सीन का क्रय संभव हो सके, औषधि की निविदा नाम से मांगी जायगी ।

जिला स्तरीय समिति

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य/संयोजक
3.	प्रक्षेत्र प्रबन्धक जिन जनपदों में प्रक्षेत्र स्थित है	सदस्य
4.	जनपद मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्टतम पशु चिकित्साधिकारी	सदस्य
5.	जनपद में वरिष्ठतम कोषाधिकारी/कोषाधिकारी	सदस्य

यह क्रय समिति राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति द्वारा चुनी गई औषधि, वैक्सीन उपकरण आदि एवं राज्य स्तरीय क्रय एवं दर अनुबन्ध समिति द्वारा निर्धारित प्रतिष्ठानों से निर्धारित दरों पर उपलब्ध आय–व्यय प्राविधान के अंतर्गत ही क्रय की कार्यवाही करेगी, यदि किसी कारणवश दर अनुबन्ध उपलब्ध न हो और स्थानीय स्तर पर औषधियों/वैक्सीन आदि की तत्काल आवश्यकता को उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत यह समिति इस प्रकार की औषधि एवं वैक्सीन क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुमोदित होगी ।

मैनुअल –4

कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

4–1 विभागीय कार्यक्रमों के निर्वहन हेतु मण्डल के अन्तर्गत प्रयोगशालाओं को लक्ष्यों का आवंटन किया जाता है , जिसकी मासिक प्रगति प्राप्त कर मण्डल स्तर पर संकलित की जाती है, तथा मदवार समीक्षाकर न्यूनतम प्रगति वाले कार्यक्रमों की ओर अपेक्षित प्रगति प्राप्त करने हेतु मार्ग निर्देशन किया जाता है

वर्ष 2016–17 हेतु मासिक प्रगति

S.no	particulars of test	Target	cumulative
1	blood samples	800	800
2	faecal samples	5000	5000
3	tuberculosis	20	20
4	paratuberculosis	-	-
5	mastitis	100	102
6	skin scrapping	1500	1500
7	samples reffered to other laboratories	250	553
8	other test		
a	urine analysis	200	200
b	antibiotic sensitivity test	200	74
c	biochemist	200	200

d	morbid tissue	-	-
e	post mortem	-	13
f/g	leukogram/haemogram	1000	1000
h	outbreak attended	-	-
i	brucellosis	100	100
	total	642	9562

मैनुअल – 5

अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किए गये नियम, विनियम, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख

अधिनियम / नियम / अन्य सूची

1. उत्तराखण्ड गौशाला अधिनियम ।

2. भोटिया ग्रेजिंग रूल्स ।

3. उत्तर प्रदेश गौशाला रूल्स 1964 उत्तराखण्ड (उ0प्र0 गौशाला नियमावली 1964) अनुकूल एवं उपरान्तरण आदेश 2002 ।

4. उत्तर प्रदेश गौवध निवारण नियमावली 1964 ।

5. उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधित 2001 ।

6. उत्तर प्रदेश वेटनरी स्टेट कांन्सिल रूल्स 1991 ।

7. उत्तरांचल राज्य पशु प्रजनन नीति नियम 2005 ।

8. प्रिवेंशन आफ क्रुएल्टी एण्ड एनीमल रूल 1965 ।

9. एक्सपोर्ट आफ लाइवस्टाक एण्ड लाइवस्टाक प्रोडक्ट ।

10. विभागीय अधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकारों का संकलन ।

11. शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का संकलन ।

12. प्रेक्षेत्रों को हानि से बचाने के लिये आर्थिक दृष्टि से अनुपयोगी पशुओं के निस्तारण के सम्बंध में कार्यवाही ।

मैनुअल–6

ऐसे दस्तावेज के जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण

रोग अनुसंधान प्रयोगशाला में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं

1. रोग अनुसंधान अधिकारी 1

2. पशु चिकित्साधिकारी प्रयोगशाला 1

3. प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ 1

4. प्रयोगशाला परिचारक 1

दस्तावेज प्राधिकारी या उनके नियंत्रण में दस्तावेजों का प्रवर्गों के अनुसार विवरण

प्रवर्ग	दस्तावेजों का नाम/परिचय	दस्तावेज प्राप्त करने की प्रक्रिया	धारक/नियंत्राधीन
प0चि0अधि0 प्रयोगशाला	कुक्कुट पक्षियों के रोगो से संबंधित पत्रावली कुक्कुट पक्षियों का पोस्टमार्टम बर्ड फ्लू की पत्रावली भौतिक प्रगति प्रतिवेदन	2.00 प्रति प्रति	प0चि0अ0/ रो0अ0प0
प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ सहायक	व्यक्तिगत पत्रावली स्टेशनरी यात्रा भत्ता बिल कन्टिजेन्ट शासनादेश आकस्मिक अवकाश संस्थाओं का निरीक्षण पत्र प्रेषण अन्य विविध पत्रावलियां एवं पंजिकायें		रो0अ0प0

मैनुअल– 7

किसी व्यवसाय विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध

मण्डल के अन्तर्गत अनुदान राज्य सहायक कार्यक्रमों के क्रियान्यवयन के तहत प्रत्येक जनपद स्तर पर नीति –

1. स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत बछिया पालन योजना :–

इस योजना में जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति के इच्छुक पशु पालकों को 75 प्रतिशत धनराशि विभाग द्वारा भागीदारी एवं 25 प्रतिशत धनराशि पशु पालकों के द्वारा जमा कर पालकों को उन्नत नस्ल की दुधारू गायें उपलब्ध करायी जाती है ।

2.चारा विकास कार्यक्रम :–

चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद स्तर पर पशु पालकों को मौसम के अनुसार चारा बीज वितरण 2 किग्रा0 प्रतिकिट के हिसाब चारा मिनी किटो का निःशुल्क वितरण किया जाता है।

3. ऐस्केट योजना :–

इस योजना में पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु वैक्सीन, दवा आदि का प्राविधान है तथा इसको प्रोत्साहित करने हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठी का आयोजन किया जाता है। योजना हेतु विकास खण्ड स्तर की गोष्ठी हेतु रू0 11.00.00 तथा जनपद स्तरीय गोष्ठी रू0 25.00.00 की धनराशि का प्राविधान है जिसमें पशुपालकों को पशुओं में रोगों के रोकथाम समय पर टीकाकरण हेतु सुझाव एवं विभागीय कार्यक्रमों की जानकारी व प्रचार प्रसार किया जाता है तथा स्थानीय पशु पालकों एवं जन प्रतिनिधियों के विचार एवं सुझाव प्राप्त किये जाते हैं । इसके अतिरिक्त योजना के अन्तर्गत विभागीय कार्मिकों के द्वारा दल के रूप में पशुओं को संक्रामक बीमारी की रोकथाम हेतु टीकाकरण का कार्य किया जाता है ।

4. कृषि प्राविधिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा परियोजना) योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर पशुपालन सम्बन्धी निम्न क्रिया कलाप प्रस्तावित है।

(क) एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न प्रशिक्षण विभागीय कार्मिकों के द्वारा पशु पालकों को दिया जाता है।

1. पशुओं के मलमूत्र/गोबर की जांच एवं कीटनाशक दवाईयों बावत ।

2. विभिन्न पशु बीमारी के सापेक्ष टीकाकरण की जानकारी ।
3. गाभिन पशुओं की देख–रेख/जांच ।
4. खुरपक्का–मुहपक्का रोग नियंत्रण हेतु ।
5. मिनरल मिक्चर का उपयोग/चारा विकास कार्यक्रम ।
6. पशु पालक/स्वयं सहायता समूहों को जनपद से बाहर भ्रमण कार्यक्रम ।

प्रचार–प्रसार विभागीय गोष्ठियों एवं मैनुअलों के द्वारा जनता को जागरूक किया जाता है।

मैनुअल 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमे दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका उसके भाग, रूप या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकों के कार्यवृत

उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड

उद्देश्य – सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के पशुधन (गाय एवं भैंस) के प्रजनन/नस्ल सुधार एवं प्रबन्धन को नवीनतम तकनीक द्वारा बढ़ावा देना एवं इससे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को स्वावलम्बी बनाकर पशुधन उत्पादों में वृद्धि करना।

परिचय :–

- ☐ स्थापना – जुलाई 2002। पशुधन
- ☐ पंजीकरण संख्या – 343 दिनांक 27.06.2001 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत)
- ☐ प्रयोजक – भारत सरकार की राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय प्रजनन। परियोजना।
- ☐ लागत – 607.5 लाख रूपयैं

शाखाएं –

- ☐उत्तराखण्ड लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड मुख्यालय –देहरादून
- ☐अतिहिगीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र –पशुलोक(ऋषिकेश)
- ☐सीमेन बैंक –लालकुआं (नैनीताल)
- ☐भ्रूण प्रत्यारोपण , पशु प्रजनन फार्म –कालसी(देहरादून)
- ☐प्रशिक्षण केन्द्र – श्यामपुर (ऋषिकेश)

संचालित कार्यक्रम :–

- ☐ अतिहिगीकृत वीर्य उत्पादन कार्यक्रम – आई0एस0ओ0 प्रमाणित केन्द्र द्वारा उच्च गुणवत्ता के अतिहिगीकृत वीर्य का उत्पादन कर कृत्रिम गर्भाधान इकाईयों को वितरित करना।
- ☐ कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम – पशुपालक के द्वार पर गर्भाधान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पशुपालन विभाग, प्राइवेट कृत्रिम गर्भाधान कार्यकत्ताओं एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ आदि के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रो/पैरावेटस/इकाईयों को अतिहिगीकृत वीर्य, तरल नत्रजन एवं अन्य

इनपुटरा आदि की निरनतर नियमित अन्तराल पर आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।

- ☐ नैसार्गिक अभिजनन कार्यक्रम – पशुपालन विभाग एवं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों आदि की संस्तुति के अनुसार पर्वतीय जनपदों के पशुपालकों को दरिन्दा पद्धति पर उच्च गुणवता वाले गाय एवं भैंस सांड़ों की आपूर्ति करना व उनके द्वारा किये गये कार्यों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करना।
- ☐ प्रशिक्षण कार्यक्रम – पशुपालन व्यवसाय से जुड़े कृषकों, कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ताओं, सरकारी व गैर सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को उत्तरांचल लाइवस्टाक डेवलपमेन्ट बोर्ड के प्रशिक्षण केन्द्र अथवा अन्य ख्याति प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से नवीनतम तकनीक का प्रशिक्षण करवाना।
- ☐ भ्रूण प्रत्यारोपण कार्यक्रम– पशुपालक के द्वार पर भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक द्वारा उच्चतम गुणवता के पशुओं का उत्पादन करना।
- ☐ फील्ड परफार्मेन्स रिकार्डिंग कार्यक्रम – पशुपालकों के उत्तम दुधारू पशुओं (गाय एवं भेंस) की सेंट्रल हर्ड रजिस्ट्रेशन योजना के अनुसार मिल्क रिकार्डिंग करना जिससे उनके क्रय–विक्रय में सुविधा प्रदान करके पशुपालकों को लाभान्वित किया जा सके और उन्हें अपने पशु का समुचित मूल्य मिल सके।
- ☐ चारा विकास कार्यक्रम –
  - ☐ प्रत्येक पर्वतीय जनपद में चयनित वन पंचायतों में बहुवर्षीय अल्पाइन चारा घासों, नैपियर तथा गुणी घासों आदि के प्रदर्शन एवं वितरण हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस का विकास करना।
  - ☐ भूसा तथा पुआल को पौष्टिक, सूपाच्य तथा परिवहन योग्य बनाने के लिये पांच–पांच किलोग्राम भार वाले कापैक्ट फील्ड सप्लीमेन्ट ब्लाक का निर्माण करना।
  - ☐ 2.5 कि0ग्रा0 भार के पशु चाटन ब्लाक का निर्माण करना।

उत्तराखण्ड शीप एण्ड वूल डेवलपमेनट बोर्ड

;

उद्देश्य – उत्तरांचल में भेड़ों की मृत्यु दर कम करने हेतु स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम संचालन बीमारियों की रोकथाम, टीकाकरण तथा नस्ल सुधार कर भेड़पालकों द्वारा उत्पादित ऊन एवं अन्य उत्पाद का उचित मूल्य दिलाकर, उसके जीवन स्तर में सुधार लाना। नई तकनीक की जानकारी देकर भेड़ पालक व्यवसाय के प्रति जागरूक करना तथा उनके स्वयं सहायता समूह/संगठन/समितियां बनाने में सहयोग करना।

परिचय :–

- ☐ स्थापना – अक्टूबर 2003
- ☐ मुख्यालय – देहरादून।
- ☐ पंजीकरण संख्या – 1998 दिनांक 31.10.2003 (सोसाइटीज रजि0 अधिनियम सं 1860 के अन्तर्गत)

संचालित कार्यक्रम –

- ☐ बोर्ड द्वारा 12 भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 अंगोरा बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, 05 अंगोरा शशक प्रजनन प्रक्षेत्र, 01 रोग निदान प्रयोगशाला, 01 ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, 01 ऊन श्रेणीकरण/ क्रय विक्रय केन्द्र तथा 03 सचल बहुउद्देशीय सेवा केन्द्रों को पशुपालन विभाग के सहयोग से संचालित करना।
- ☐ **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम –** भेड़ों में दवापान, दवास्नान, चिकित्सा, मेढ़ों में बधियाकरण तथा भेड़ों का टीकाकरण कार्यक्रम संचालित करना।
- ☐ **नस्ल सुधार कार्यक्रम –** राज्य के प्रगतिशील भेड़पालकों को उनकी भेड़ों के नस्ल सुधार हेतु उन्नत प्रजनन हेतु मेढ़ों का निःशुल्क वितरण।

उत्पादकता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत :–

- ☐ भेड़ों को ऊन कतरन से पूर्व नहलाये जाने हेतु भेड़पालकों को शिक्षित/जागरूक करना।
- ☐ ऊन ग्रेडिंग कार्यक्रम में भेड़ों से प्राप्त ऊन की प्राथमिक ग्रेडिंग का कार्य प्रारम्भ कराना।
- ☐ मशीन द्वारा ऊन कतरने/काटने के लिए भेड़पालकों को शिक्षित एवं जागरूक करना।
- ☐ उत्पादित होने वाली ऊन के विपणन में भेड़पालकों को अपेक्षित सहायता एवं मार्ग दर्शन देना।
- ☐ भेड़पालकों को ग्राम स्तर पर भेड़ों से सम्बन्धित नवीनतम तकनीक की जानकारी देना, भेड़ों के प्रबन्धन, प्रमुख रोग एवं उनका निदान तथा मशीन द्वारा ऊन कतरन आदि विषयों पर भेड़पालकों, प्रशिक्षित/जागरूक/शिक्षित करना।
- ☐ भेड़पालकों के स्वयं सहायता समूह गठन तथा गैर राजकीय संस्थाओं के चयन/गठन में सहयोग करना।

कालसी (देहरादून), मुनि की रेती (टिहरी), डुण्डा (उत्तरकाशी), मुन्स्यारी (पिथौरागढ़), ग्वालदम (चमोली) में पांच नये भेड़ बहुउद्देशीय रोग केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें संचालित करना।

8.3 उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड

1.	स्थापना	2004
2.	मुख्यालय	पशुलोक–ऋषिकेश, देहरादून, लैन नं.–1, डी–26, शास्त्रीनगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून ।
3.	पंजीकरण संख्या	दि0 (सोसाइटीज रजिस्ट्रेषन अधिनियम 1860 के अन्तर्गत) ।

उद्देश्य :–

1. उत्तराखण्ड राज्य के पशुओं के कल्याण एवं उन पर हो रहा अत्याचार को रोकने, पालतू पशुओं को अनुत्पादक होने पर लावारिस हालत में छोड़ने पर संरक्षण दिलाने, पालतू एवं अन्य जीवों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा पशुओं की दशा सुधारने हेतु उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य पशुकल्याण बोर्ड की स्थापना ।
2. बोर्ड निकाय निगम होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होना एक सामान्य मुद्रा/मुहर होगी, इस अधिनियम के उलबन्धों के अधीन रहते हुए सम्पति का अर्जन, धारण और व्यय करने को उसकी शक्ति होगी । आवश्यकतानुसार अपने नाम से वाद चला सकता है या उसके नाम पर वाद चलाया जा सकता है।

मुख्य कृत्य :–

1. जीव जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण हेतु भारत में प्रस्तुत विधि का अध्ययन करता रहे और किसी विधि मतें समय–समय पर किये जाने वाले संशोधनों की बावत सरकार को सलाह दें ।
2. जीव जन्तुओं को सामन्यताया या विशिष्टतया जब वे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवहन किये जा रहे हो या जब वे अभिनयकर्ता जीव जन्तु के रूप में प्रयुक्त किये जा रहे हो या जब वे बन्धन या प्रतिरोध में रखे गये हो तब

अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने की दृष्टि से इस नियम के अधीन नियम बनाने बावत सरकार को सलाह दे ।

3. भारवाही जीव जन्तुओं पर भार कम करने के लिए यानों के डिजाइनों में सुधार हेतु सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति को सलाह दे ।

4. शेड़ों, जलनादों औश्र तदूप चीजों का सन्निमार्ण प्रोतसाहित या उपबन्धित करने, जीवन जन्तुओं के लिए पशु चिकित्सा सहायता उपवन्धित करने, पशुओं की बेहतरी के लिए उपाय करने हेतु जैसा बोर्ड ठीक समझे वैसा उपाय करें ।

5. वघालयों की डिजायन या वधालयों को चलाने या जीव जन्तुओं के वध के सम्बन्ध में सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य व्यक्ति को सलाह दें । ताकि जहां तक सम्भव हो पशु को वध से पहले के कार्यक्रम में अनावश्यक शारीरिक या मानसिक पीड़ा न हो । जहां कि जीव जन्तुओं को मार देना आवश्यक हो वहां यथा सम्भव माानवोचित रीति से किया जाय ।

6. जब कभी आवांछनीय जीव जन्तु को नष्ट किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी स्थिति में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा या तो तुरन्त किया जाय या जीव जन्तु को अचेत करके किया जाय या जैसा बोर्ड उचित समझे वैसा उपाय करें ।

7. ऐसे पिंजरापोलो बचावगृहों, पशुआश्रमों, पशुवनों अन्य स्थानों जहां पशु–पक्षी बूढ़े व बेकार हो जाने पर या जब उन्हें संरक्षण की आवष्यकता के रूप में अनुदान दे या अन्यथा प्रोत्साहित करें ।

8. जीव जन्तु को अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाने के लिए या जीव जन्तु तथा पक्षियों की संस्था के लिए स्थापित संस्थाओं या निकायों के साथ सहयोग एवं उनके कार्यों का समन्वय करें ।

9. स्थानीय क्षेत्रों में कार्यशील जीव जन्तु कल्याण संगठनों को वित्तीय या अन्य सहायता दें या किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे जीव जन्तु कल्याण संगठनों का बनाया जाना प्रोत्साहित करेंजो बोर्ड के साधारण पर्यवेक्षण एवं प्रदर्शन के अधीन कार्य करें।

10. जीव जन्तु अस्पतालों में जिस चिकित्सकीय देखरेख एवं सावधानी का उबन्ध हो उससे सम्बन्धित विषयों पवर सरकार को सलाह दें और जब कभी कोई आवश्यक समझे जीव अस्पतालों को वित्तीय या अन्य सहायता दें ।

11. जीव जन्तुओं के साथ मानवोचित बरताव करने के उद्देश्य से शिक्षा/प्रशिक्षण दें, जीव जन्तुओं को अभिवर्धन के पक्ष में भाषणों, पुस्तकों, पोस्टरों

या चल चित्र प्रदर्शनों एवं विभिन्न साधनो के द्वारा लोकमत या अन्य सहायता दें ।
12. जीव जन्तु के कल्याण व अनावश्यक पीड़ा यातना देने के निवारण हेतु किसी भी विषय पर सरकार को सलाह दें ।
प्रारूप एवं वर्तमान सदस्य : स्वरूपः उत्तराखण्ड सरकार का एक उपक्रम ।

वर्तमान सदस्य :–

1. मा0 मंत्री जी महोदय पशुधन एवं मत्स्य उत्तराखण्ड	प्रदेश अध्यक्ष
2. राज्य सरकार द्वारा नामित (पशुकल्याण के आधार पर)	उपाध्यक्ष
3. सचिव/अपर सचिव एवं मत्स्य उत्तराखण्ड शासन	पदेन सचिव
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड	सदस्य
5. मुख्य वन जीव संरक्षक उत्तराखण्ड	सदस्य
6. गौशाला के 10 (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
7. पांच पशुप्रेमी (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
8. समाज सेवी संस्थाओं के दो सदस्य जो पशुकल्याण का कार्य कर रहे (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
9. प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन	सदस्य
10. निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तराखण्ड राज्य	सदस्य
11. जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तराखण्ड का एक प्रतिनिधि (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
12. विधान सभा के दो मा0 विधायक (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य
13. सेवा निवृत्त न्यायाधीश, न्यायिक सेवा/प्रशासनिक सेवा से जुड़े प्रतिनिधि जो (राज्य सरकार द्वारा नामित)	सदस्य

मैनुअल 9

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र.सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष	पता
1	डा0 डी0 सी0 एस0 रावत	रो0 अ0 अ0	9412907051	ग्राम .शिब्बू नगर कोटद्वार – गढ़वाल
2	डा0 ओम कुमार	प0चि0अ0	9410581193	पो0ओ0–जसपुर उधम सिंह नगर
3	श्री जयानन्द बहुगुणा	प्रयोगशाला सहायक	8126907161	ग्राम पोखरी चलणस्यूँ पौड़ी गढ़वाल
4	सोबन सिंह	प्रयोगशाला परिचर	9458926326	ग्रा0व0पो0ओ0 श्रीकोट पौड़ी गढ़वाल

मैनुअल 10

प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें विनियकों के यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें विनियकों के यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है।

क्र.सं.	**पदनाम**	**मासिक पारिश्रमिक**
1	रोग अनुसंधान अधिकारी	78800–175200
2	पशु चिकित्सा अधिकारी	56100–124500
3	प्रयोगशाला प्राविधिज्ञ	35400–78800
4	प्रयोगशाला परिचर	18000–39900

मैनुअल 11

सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन कि रीति जिसमे आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्राह्यों के ब्यौरे सम्मिलित हैं।

11– अनुदान/राज्य सहायता कार्यक्रमों के क्रियाचयन की रीति

अनुदान/राज्य सहायता सम्बन्धित योजनाओं का प्राविधान जिला योजना के अन्तर्गत किया जाता है, जिला योजना के अन्तर्गत धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त कर शासन/शासन अपर निदेशालय स्तर से सीधे जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों को आवंटित की जाती है । लाभाग्राहियों को चयन एवं प्रदत्त सुविधा के ब्यौरे जनपद स्तर पर ही रखे जाते हैं ।

विभाग के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक पशुपालकों को उन्नत नस्ल की गाये 75 प्रतिशत विभाग द्वारा भागीदारी एवं 25 प्रतिशत पशुपालक द्वारा योजना में भागीदारी कर वितरित की जाती है।

चारा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुपालकों को मौसम के अनुसार 2 किग्रा0 के चारा किट निःषुल्क वितरित किये जाते है।

बैन्चर कैटिल फण्ड की योजना भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई जिसके अन्तर्गत पशुपालकों से जनपद स्तर पर मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा आवेदन प्राप्त कर सम्बन्धित बैंक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाते हैं।

ऐस्कैड योजना के अनतर्गत पशुओं में टीकाकरण का प्राविधान है, मुख्य पशु चिकित्साधिकारियों के द्वारा प्रत्येक विकास खण्ड में गोष्ठी का आयोजन कर पुापालकों पषुओं के रोगों एवं उनके रोकथाम हेतु उचित मार्ग निर्देशुन किया जाता है। पशुपालकों व जनप्रतिनिधियों को विभागीय कार्यक्रमों से अवगत कराकर प्रचार–प्रसार करते हुए कार्यक्रमों की ओर प्रेरित किया जाता है।

कुक्कुट पालक योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर मुख्य तकनीकी अधिकारी (कुक्कुट) के द्वारा इच्छुक कुक्कुट पालकों को एक सप्ताह का कुक्कुट प्रशिक्षण दिया जाता है।कुक्कुट पालन में प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है तथा विभागीय कुक्कुट प्रक्षेत्रों से चुजा वितरण किया जाता है।

उक्त सभी कार्यक्रमों के ब्यौरे जनपद स्तर पर रखे जाते हैं तथा जनपद स्तर के अधिकारियों के द्वारा अपने स्तर पर तैयार किये गये मैनअलों में विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

मैनुअल 12

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुग्या पत्रों या प्राधिकारो के प्राप्तिकर्ता की विशिष्टियां

12– रियायातों/अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकारों प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध

मण्डल स्तर पर उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई विशिष्टियां नहीं हैं, विभाग द्वारा पशु चिकित्सा, पशुओं में दुग्ध उत्पादन हेतु कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार एवं क्षेत्र में भेड़ों में ऊन उत्पादन कार्यों को बढ़ावा देने हेतु भेड़ों की नस्ल सुधार हेतु उन्नत नस्ल के मेढ़ों का वितरण रोगों की रोकथाम में पशुओं में टीकाकरण, दवापन व दवास्नान कार्य प्रचार–प्रसार चारा उत्पादन आदि सुविधाएं पशुपालकों को प्रदत्त की जाती हैं, रियायतें आदि जनपद स्तर पर जिला योजना के अन्तर्गत प्रदत्त की जाती हैं जिनका विवरण मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मैनुअलों में किया जाता है।

मैनुअल 13

किसी इलेक्ट्रानिक्स रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसमें उपलब्ध हो या उसके द्वारा पारित हो

3– कास्तकारों/पशुपालकों को सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्न प्रणाली विभाग द्वारा अपनाई जाती है –

1. क्षेत्र में प्रचार प्रसार ।
2. प्रशिक्षण ।
3. विज्ञापनो/समाचार पत्रों ।
4. रेडियो/विडियो कान्फ्रेंस ।
5. फैक्स – ईमेल ।
6. विभाग द्वारा समय–समय पर प्रकाशित पत्रिकाओं द्वारा ।

मैनुअल 14

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां

जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के लोग उपयोग के लिये अनुरक्षित हैं कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं

14– सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

1. प्रर्दशनी ।
2. समाचार पत्र ।
3. सूचना पट ।
4. विभागीय मैनुअल/पत्रिकाओं ।
5. विभागीय गोष्ठी ।
6. विभागीय बैठकें ।

मैनुअल 15

लोक सूचना अधिकारियों और कर्मचारियों का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम

क. सहायक लोकसूचना अधिकारी

नाम	पदनाम	दूरभाष	पता
डा0 जयानन्द बहुगुणा	प्र0 सहायक	8126907161	रो0अ0प्र0 सिताबपुर कोटद्वार

ख. लोक सूचना अधिकारी

नाम	पदनाम	दूरभाष	पता
डा0 ओम कुमार रावत	प0चि0अ0	9410581193	रो0अ0प्र0 सिताबपुर कोटद्वार

ग. अपीलिय अधिकारी

नाम	पदनाम	दूरभाष	पता
डा0 डी0सी0एस0 रावत	रो0अ0अ0	9412907051	रो0अ0प्र0 सिताबपुर कोटद्वार

मैनुअल 16

ऐसी अन्य सूचनाएं जो विधित की जाएं

(1) लोक प्राधिकरण से जनमानस द्वारा सामान्य पूछे जानेवाले प्रश्न व उनके उत्तर प्रकरण पर कार्यवाही अपेक्षित है ।

(2) सूचना प्राप्त करने के सम्बन्ध में ।

1. आवेदन पत्र द्वारा ।
2. सूचना प्राप्त करने हेतु शुल्क रू0 10.00 ।
3. सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात उपलब्ध कराये जायेगी, तथा सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के प्रत्येक पृष्ठ हेतु रू0 2.00 प्रति पृष्ठ की दर से अतिरिक्त शुल्क लोक सूचना प्राधिकारी के कार्यालय में जमा करनी होगी ।

(3) परिभाषायें :–

1.	मु0प0चि0अ0	–	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ।
2.	मु0त0अ0	–	मुख्य तकनीकी अधिकारी ।
3.	प0चि0अ0	–	पशु चिकित्साधिकारी ।
4.	प0प्र0अ0	–	पशुधन प्रसार अधिकारी ।
5.	वे0फ0	–	वैटनरी फार्मसिस्ट ।

(4) विस्तृत जानकारी हेतु सम्पर्क :–

1.	पशुधन प्रसार अधिकारी	–	संस्थाओं पर तैनात
2.	पशुचिकित्साधिकारी	–	पशुचिकित्सालयों पर
3.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	–	जनपद स्तर पर
4.	मुख्य तकनीकी अधिकारी	–	संस्था पर

5. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी
6. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली ।

(5) ग्रामीण कुक्कुट विकास परियोजना :–

उत्तराखण्ड में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट वितरण का कार्यक्रम ग्रामीण परिवेश में उच्च गुणवत्ता का मांस एवं अण्डों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

(6) कुक्कुट/ प्रयोगशाला गोष्ठी एवं प्रर्दशनी :–

पशुपालकों को रोजगार एवं आर्थिक उन्नति के लिए पषुपालन गोष्ठी एवं पषु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है ताकि जनता में जागरूकता लाकर अन्य स्तर पर रोजगार मुहैया कराया जा सके । बर्ड फ्लू की जानकारी के लिये गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है एवं कुक्कुट पालकों को मुख्य तकनीकी अधि0 सघन कुक्कुट विकास परियोजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है ।

पशुओ के प्रमुख संक्रामक रोग, लक्षण और बचाव

वह रोग जो वैक्टीरिया, वायरस तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है संक्रामक रोग कहलाते है। पशुपालक जानते हैं कि संक्रामक रोगों द्वारा दुधारू पशुओं में शारीरिक एवं आर्थिक हानि हुआ करती है।

1. खुरपका–मुंहपका रोग :–

यह एक भयानक संक्रामक वायरस जनित रोग है रोग में पशुओं को तेज बुखार आता है जो 104^0 फारेनाईट तक पहुंच जाता है। मुंह से लार टपकती है, खुरो में घाव हो जाने पर पशु एक स्थान पर खड़ा नही रह पाता है, लंगड़ाकर चलता है, घाव में कीड़े पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं पशु खाना – पीना छोड़ देता है, दुग्ध उत्पादन में कमी आ जाती है।

बचाव :–

इसका टीका पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा रियायती दर पर लगाया जाता है। यह टीका वर्षा प्रारम्भ होने से पहले मई जून में लगवा लेना चाहिए यह टीका लगवाकर माहमारी से बचा जा सकता है यदि बीमारी हो जाय तो बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए ।

2. पोंकनी रोग :–

यह भी वायरस जनित भयानक रोग है इससे काफी पशुओं की मृत्यु हो जाती है बीमार पशु बुखार 105 से 107^0 फारैनाईट तक आता है। दस्त आते हैं, मुंह जीभ में छाले पड़ जाते हैं पशु कमजोर हो जाता है, आंखे बैठ जाती हैं, नाक आंख मुंह से पानी गिरने लगता है पशु कमजोर होकर लड़खड़ाकर गिर जाता है और मर जाता है।

बचाव :–

स्वस्थ पशुओ में बाचव के लिए टीका लगवा लेना आवश्यक है यह टीका अक्टूबर/नवम्बर में लगाया जाता है इसस जी0टी0बी0 तथा लैपिनाइज्ड वैक्सीन मुख्य है। आजकल रिन्डरपेस्ट उन्मूलन कार्यक्रम चल रहा है इस हेतु आर0पी0 खोज कार्य जारी है इसलिए टीकाकरण का कार्य नहीं कराया जा रहा है।

3. माता रोग :–

यह विषाणु जनित रोग है इसमें अयन तथा थनों में छाले पड़ जाते हैं बाद में घाव बन जाते हैं, जिससे थनैला रोग होने का भय उत्पन्न हो जाता है।

बचाव :–

बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा घाव में एण्टी–सैप्टीक मलहम लगाना चाहिए ।

4. रैबीज :–

यह रोग पागल कुत्ते, सियार के काटने से होता है यह रोग वायरस जनित है प्रमुख लक्षणों में पशु का उग्र होना मुंह से लार टपकना रोगी पशु कंकड़ तथा मिट्टी को चबाने का प्रयास करता है अन्त में लकवा मार जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है । बीमार पशु की लार लगने से मनुष्य में यह रोग फैल जाता है।

बचाव :–

पशु के घाव को कार्बोलिक एसिड, साबुन द्वारा साफ करना चाहिए उसके बाद एण्टी–रैबीज का टीका लगावाना चाहिए क्यौंकि लक्षण पैदा होने पर उपचार असम्भव हो जाता है यह टीका राजकीय पशु चिकित्सालय द्वारा लगाया जाता है।

5. गलघोंटू :–

जीवाणु जनित रोग है यह पॉस्टुरैल्ला जीवाणु द्वारा होता है इस रोग में 104 से 106^0 तक बुखार आता है । गले में सूजन आती है, सांस लेने में कठिनाई होती है उपचार न कराने पर पशु 24 घंटे में मर जाता है यह रोग आमतौर पर बरसात में होता है परन्तु वर्ष में कभी भी हो सकता है।

बचाव :–

रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में प्रतिवर्ष माह मई जून में टीका लगवा लेना चाहिए । रोग हो जाने पर बीमार पशु को अलग रखना चाहिए तथा उपचार

करायें ।

6. लगड़िया बुखार :–

यह भी जीवाणु जनित रोग है यह क्लोस्ट्रिडियम चोबिआई द्वारा फैलता है मुख्यतः यह रोग 6 महीने से 2 वर्ष तक आयु के पशुओं में होता है । प्रमुख लक्षणों में तेज बुखार, पैर में सूजन आना और सूजन में गैस भर जाना है सूजन को दबाने से चरचराहट की आवाज आती है।

बचाव :–

रोग की रोकथाम के लिए पशुओं में अगस्त सितम्बर में टीका लगाना चाहिए व बीमार पशु का एण्टी–ब्लैक क्वार्टर सीरम लगवाना चाहिए मरे पशु को जमीन में गाढ़ देते है जिससे संक्रमण न हो सके ।

7.जहरी बुखार :–

यह रोग बैसिलस एन्थ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है इस रोग के प्रमुख लक्षणों में 105 से 108^0 फारैनाईट तक बुखार आता है तिल्ली बढ़ जाती है तथा खून का रंग काला हो जाता है नाखूनों से खून निकलता है। अन्ततः 24 से 48 घण्टे में पशु की मृत्यु हो जाती है रोग संक्रमण द्वारा मनुष्यों में भी फैल जाता है यह जैनेटिक रोग है।

बचाव :–

रोग के बचाव के लिए स्वस्थ पशुओं में अगस्त माह में एन्थ्रेक्स का टीका लगवाना चाहिए । मरे हुए पशु की खाल नही निकालनी चाहिए और शव को गहरे गढ्ढे में चूना डालकर दबा देना चाहिए ।

इन समस्त रोगों के लक्षण उत्पन्न होने पर पशु चिकित्सक की सलाह से उपचार कराये, जिससे पशुपालक शासन द्वारा उपलब्ध सेवाओं का लाभ उठाकर आर्थिक हानि से बच सके ।

कुक्कुट व्यवसाय कैसे करें

कुक्कुट की आवास व्यवस्था :–

1. कुक्कुट भवन का निर्माण उंचे स्थान पर करें ।
2. कुक्कुट का डीप लीटर (भवन) मजबूत होना चाहिए ।
3. कुक्कुट भवन डीप लीटर में चारों और मजबूत जाली होनी चाहिए ।
4. भवन के चारों और चूने का छिड़काव होना चाहिए ।
5. भवन हवादार होना चाहिए ।
6. ब्राइलर के लिए एक वर्गफूट स्थान होना चाहिए ।
7. लेयर के लिए ढाई वर्गफुट स्थान होना चाहिए ।
8. डीप लीटर की रोजना सफाई होनी चाहिए ।
9. डीप लीटर में अण्डे देने के लिए कुक्कुट पक्षियों का अलग स्थान बनाना चाहिए ।

पशु की आवास व्यवस्था

1. पशुशाला का निर्माण ऊंचे स्थान पर करें ।
2. पशु के खड़े होने का स्थान आगे से पीछे की ओर ढाल वाला हो, तथा चिकना न हो वरना पशु के फिसलने का खतरा रहता है।
3. खुला हवादार स्थान हो ।
4. पानी के स्तर से ऊंचे वाले स्थान पर पशुशाला बनायें ।
5. गोबर, पेशाब गढ्ढे में एकत्र कर खाद बनानी चाहिए ।
6. पशुशाला की सफाई नियमित रूप से दो बार करें ।
7. पशुशाला के पास छायादार वृक्ष हो ।
8. पशु को स्नान कराने की व्यवस्था हो ।

कृत्रिम गर्भाधान क्यो अपनायें :–

1. उच्च गुणवत्ता के साण्ड सरलता से नहीं मिलते ।
2. प्रत्येक साण्ड के रख रखाव एवं चारे पर अधिक खर्च आता है ।
3. छोटे आकार के पशुओं में नैसर्गिक प्रजनन में परेशानी होती है।

4. साण्ड द्वारा प्रजनन से जननांग की बीमारी फैलती है।

5. वीर्य की जांच साण्ड में सम्भव नहीं हो पाती है कृत्रिम गर्भाधान से पूर्व वीर्य की जॉचं कर प्रयोग करते है।

6. साण्ड में एक बार के वीर्यदान से एक पशु गर्भित होता है, जबकि उसी वीर्य की मात्रा से कृत्रिम गर्भाधान द्वारा 20–30 पशु गर्भित किये जाते है।

7. साण्ड की मृत्यु के पश्चात भी उसकी संतति प्राप्त की जा सकती है ।

8. किसी दूरस्थ स्थानों पर पहाड़ों पर भी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा संतति आसानी से प्राप्त की जा सकती है। एक दिन में कितनी भी संख्या में पशुओं को गर्भित किया जा सकता है।

अच्छा दुग्ध उत्पादन – महत्वपूर्ण तथ्य :–

1. पशु का दुहाना नियमित रूप से निश्चित समय पर करें ।

2. दुहाने से पूर्व अयन को लाल दवा के पानी से साफ करें ।

3. दुहान का बर्तन ऊपर से आधा तिरछा/ढका हुआ हो।

4. दुहान निरोग व्यक्ति द्वारा हाथों को साबुन से स्वच्छ कर अथवा लाल दवा से धोकर किया जाय ।

5. दुहान के समय शान्ति का माहौल हो, हल्का संगीत बजाने से अधिक उत्पादन मिलता है।

6. दुहान का कार्य शीघ्रता से एक बार में पूरा करना चाहिए ।

7. दूध की प्रारम्भिक धार प्रयोग में नही लानी चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए ।

8. गर्मियों में दिन में एक बार पशु को नहलायें एवं अधिक दुग्ध उत्पादन करें ।

9. दुहान के समय गंध वाला आहार न खिलायें, व ग्वालों को इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए अन्यथा दूध से गंध आ जायेगी ।

भारतीय पशुओं के आनुवांशिक पदार्थ के संरक्षण की आवश्यकता :

1. भारतीय नस्ल की दुग्ध उत्पादन क्षमता काफी अच्छी है ।

2. भारतीय नस्लों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता अधिक है।

3. नर बच्चो ंकी कार्यक्षमता अधिक होती है।

4. भारतीय नस्लों के दुग्ध में वसा का प्रतिशत अधिक होता है।

5. रखरखाव में कम खर्च आना ।

6. डिस्टोकिया का प्रतिशत कम होना ।

मुर्गियों के मुख्य रोग, लक्षण निदान, टीकाकरण एवं रोग नियंत्रण

मुर्गियों के मुख्य रोग निम्न प्रकार है :–

1. रानीखेत :–

मुर्गियों में यह बीमारी सबसे घातक है, यह एक विषाणु से होती है वैसे तो यह रोग सभी आयु वर्ग में फैलता है परन्तु चूजों में यह अत्यधिक उग्र रूप से फैलता है। गले में घरघराहट, बलगम की शिकायत, सांस लेने में कठिनाई, मुंह खोलकर सांस लेना, शरीर की मांसपेशियों में कंपकपाहट, चलने मं लंगड़ापन तथा पैरों में लकवा होना, तेज बुखार, बीट पानी जैसी पतली बदबूदार तथा पंख बिखर जाते है। कलंगी काली पड़ जाती है । सर, पैर या पंजे के बीच कर लेती है। यदि पक्षी अण्डे देने वाली हो तो उसके अण्डा उत्पादन में गिरावट, अण्डे का छिलका काफी पतला तथा उनका आकार भी कम होता है आदि लक्षण दिखाई देते है। इस रोग का कोई उपचार नहीं है। रोग होने पर शत प्रतिशत तक मृत्यु हो जाती है यदि समय पर टीकाकरण किया जाय तो रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है । रानीखेत एफ वन स्ट्रेन की बूंद नाक में तथा एक बूंद आंख में एक से छः दिन तक डाल दी जाये तो दो माह की उम्र तक रानीखेत से पक्षियों का बचाव किया जा सकता है। 6 से 8 सप्ताह बाद नये पक्षियों को रानीखेत का टीका लगा दिया जाता है और ऐसा करके पक्षियों को रानीखेत रोग से जीवन भर के लिये सुरक्षित कर लिया जाता है बीमार पक्षियों को तुरन्त बदल लिया जाये तो बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है।

2. मुर्गी चेचक :–

यह रोग दूसरी मुख्य फैलने वाली बीमारी है यह एक किस्म के विषाणु द्वारा होता है । यह सभी आयु के पक्षियेां में होती है परन्तु बड़ो में अधिक होती है।

लक्षण :–

इस रोग मे भूख की कमी, सुस्ती, सांस लेने में तकलीफ, नाक या आंख से पानी आना, कलंगी कर्णफूल और पैरों में चेचक के दाने पैदा होना, तेज बुखार,

कानों में झागदार पदार्थ जमा हो जाना, मुंह में झिल्ली पैदा होना और यदि झिल्ली न निकाली गई तो दम घुटने लगता है। अण्डा उत्पादन गिर जाना, मृत्यु छोटे बच्चों में अधिक तथा बड़ों में कम होती है। इस बीमारी से 60 प्रतिशत तक मृत्यु सम्भव है। इस रोग से बचाव के लिए आवश्यक है कि दो माह की उम्र पर फाउल पोक्स का टीका लगाया जाये । इस रोग से बचाव के उपाय को ही प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु यदि रोग हो जाये तो स्वस्थ पक्षियों को तुरन्त बीमार पक्षियों से अलग कर टीका लगा दिया जाना चाहिए , बाड़ों की सफाई तथा कीटाणुनाशक घोल का छिड़काव कर बीमार पक्षियों को सन्तुलित आहार तथा पानी के साथ एंटीबायोटिक तथा विटामिन्स दिये जाये । मुंह मे यदि झिल्ली हो गयी हो तो उसे निकाल देना चाहिए ।

3. जुकाम लगना (फाउल कोराइजा) :–

यह जीवाणुओं द्वारा फैलने वाला रोग है जो अतिशीघ्र मुर्गियों को अपनी पकड़ में ले लेता है इस बीमारी के मुख्य लक्षणों में छींक आना, खांसना, सांस लेने में कठिनाई होना, सिर को उठाना, तथा चेहरे कर्णफूल में सूजन, आंख तथा नाक से दुर्गंधित द्रव का निकलना, भूख में कमी हो जाना, अण्डों की उत्पादन क्षमता में कमी हो जाना । रोग के उपचार के लिये सैलयुक्त औषधियां आहार या पानी में देनी चाहिए । इस के साथ–साथ एन्टीवायोटिक्स भी दिये जाते हैं रोकथान के लिए रोगग्रस्त पक्षियों को तुरन्त अलग कर देना चाहिए ।

4. मुर्गी का हैजा रोग (फाउल कॉलरा) :–

यह भी जीवाणुओं द्वारा होने वाला रोग है यह अधिकतर वर्षा ऋतु में फैलता है जब बीमारी का प्रकोप होता है तो बिना लक्षण दिखाये पक्षी काफी संख्या में मृत पाये जाते हैं इस बीमारी में हरे–पीले दस्त भूख में कमी, कभी–कभी सांस लेने में कठिनाई, प्यास अधिक लगना जोड़ो में सूजन, कलंगी तथा कर्णफूल में सूजन या काला पड़ जाना तथा भार में गिरावट आने के लक्षण दिखाई देते हैं । इससे कभी–कभी छः से आठ सप्ताह के आयु वर्ग की मुर्गियों में रोग होता है परन्तु सामान्यतः बड़ी मुर्गियों में ही यह रोग होता है। मृत्य कभी कम कभी अधिक होती है रोग के उपचार में सल्फा दवाओं का प्रयोग किया जाता है। रोग से बचाव के लिए डेढ़ माह से अधिक के पक्षियों में फाउल कॉलरा का टीका लगवा लेना चाहिए । रोग नियंत्रण के लिए बीमारी के दौरान कुक्कुट गृहों में स्वच्छ हवा के आवागमन के

लिए उचित व्यवस्था की जाये

5. लकवे का रोग (मैरिक्स डिजीज) :–

यह विषाणु जनित रोग है इस बीमारी में भी मृत्यु दर अधिक होती है रोग के मुख्य लक्षण जो पाये जाते हैं उस के अनुसार बीमार पक्षियों को लकवा रोग पैदा हो जाता है व खा–पी नहीं सकते । जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है यह बीमारी आमतौर से छोटी उम्र के पक्षियों (डेढ़ माह से दो माह) में अधिक होती है। बड़े उम्र के पक्षियों में जो अण्डा देने वाली होती है, उनके पैरों तथा गर्दन में लकवा हो जाता है इन के भार में कमी हो जाती है, सांस लेने में कठिनाई होती है, तथा कभी–कभी दस्तों की शिकायत होती है इस रोग से बचाव के लिए एक दिन के बच्चों को एच0वी0टी0 नामक वैक्सीन का टीका लगा दिया जाता है। इससे जीवन पर्यान्त इस रोग से सुरक्षा हो जाती है हालांकि बीमारी पैदा होने पर बीमार पक्षियों की चिकित्सा सम्भव नहीं परन्तु यदि स्वस्थ पक्षियों को अलग कर बाड़ों की सफाई, उन में कीटाणुनाषक दवा का छिड़काव कर दिया जाये और बिछावन बदल दी जाये और मुर्गी बाड़ों में स्वच्छ हवा का आवागमन पर्याप्त कर दिया जाये तो स्वस्थ पक्षियों को बीमार होने से बचाया जा सकता है।

6. चिचड़ी ज्वर (स्पाइरोकीटोसिस) :–

इस रोग के कीटाणुओं की वजह चिचड़िया होती है। यह मुर्गियों की एक आम व खतरनाक बीमारी है रोग के लक्षणों में बीमार मुर्गियॉ अलग–अलग रहती है, सुस्त हो जाती है, पंख बिखर जाते हैं, पैरो व पंजो में सूजन आ जाती है, कमजोर हो जाती है तथा बुखार हो जाता है, ठीक से खड़ी नही हो पाती, सिर झुका देती है, पानी अधिक पीती है। हरे रंग के तीव्र दस्त तथा मरने से पहले शरीर का तापक्रम सामान्य से कम हो जाता है। रोग से बचाव के लिए छः सप्ताह से अधिक आयु पर वैक्सीन लगायी जाती है, बीमार होने पर एन्टीबायोटिक का टीका तीन दिन तक लगवाना चाहिए। रोग नियंत्रण के लिए बाडे से चिचड़ियों को नष्ट कर दें इसके लिए ब्लो लैम्प का प्रयोग या फिर कीटनाशक दवा का प्रयोग करना होगा।

7. दीर्घकालीन सांस रोग (सी0आर0डी0):–

यह भी संक्रामक रोग है जो सर्दियों में होता है। इस रोग के फैलने पर पक्षियों में मृत्यु दर 40 प्रतिशत तक हो सकती है रोग का लक्षण, भूख कम लगना,

सांस लेने में कठिनाई, आंख तथा नाक से पानी आना तथा गले के अन्दर पीले रंग का पदार्थ जमा होना तथा एक विशेष प्रकार की आवाज करना है। इस रोग के फैलने में आहार की कमी, परजीवियों का प्रकोप, विटामिन ए की कमी तथा कुक्कुटशाालाओं में नमी अधिक होना सहायक होते है। रोगी मुर्गियों का एन्टीबायोटिक तथा विटामिन्स द्वारा उपचार शुरू कर देना चाहिए । आहार में हरी सब्जियों या बरसीम का प्रयोग कराये । रोग नियंत्रण हेतु अण्डों की सफाई पर विशेष ध्यान दें क्योंकि बीमारी अण्डों के द्वारा खून में फैलती है।

8. खूनी दस्त लगना (कोक्सीडियोसिस):–

यह बीमारी प्रोटोजोवा कीटाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है यह बीमारी कम आयु के चूजों में अक्सर होती है इस रोग के लक्षण जैसे पक्षी की बीट के साथ खून का आना, खून मिले दस्त होना, कलंगी का सूखा पड़ जाना पक्षियों का उघंना, भूख में कमी, अण्डा देने में कमी, पक्षियों का कमजोर हो जाना, यदि रोग की चिकित्सा शीघ्र न की जाये तो मृत्यु दर में वृद्धि हो जाना, बीमारी के उपचार के लिए पक्षियों को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए । रोग नियंत्रण के लिए पक्षियों को पानी के साथ सल्फा दवा 5 दिन तक दी जानी चाहिए रोग नियंत्रण के लिए मुर्गी को सूखा रखा जाये तथा बिछावान को पलटते रहना चाहिए या उसमें चूना छिड़क दें । शुद्ध हवा की उचित व्यवस्था करें । बचाव हेतु 15 दिनों की आयु पर चूजों को किसी भी काक्सीडिया पर प्रभावी दवा का कोर्स तीन दिन तक दें पुनः एक माह की आयु पर यह कोर्स दुबारा दें । इसके बाद दो तीन माह तक प्रत्येक माह देते रहें ।

9. एस्केरियासिस :–

यह रोग गोल कृमि के कारण होता है तो आंतों में पाई जाती है यह गोल तथा लम्बे होते है जो कि आंतों में गुच्छे बना लेते हैं इनके कारण पक्षियों के शरीर के भार में कमी, अण्डा देने की क्षमता गिर जाना, पक्षी सुस्त व कमजोर हो जाते हैं इसके बचाव व उपचार के लिए कृमिनाशक दवापान प्रतिमाह कराया जाना चाहिए ।

10. शरीर पर लगने वाले बाह्राय परजीव :–

चिचड़ी, जूं, पिस्सू मुर्गी के शरीर के ऊपर पाये जाते हैं । यह मुर्गी बाड़ों के दरारों में भी रहते हैं जहां से रात में निकल कर मुर्गी पर आक्रमण कर देते हैं यह उनका खून चूसते हैं जिस कारण चूजो में मृत्यु भी हो जाती है। नियंत्रण के लिए बाड़ों का

सारा कूड़ा करकट जला दें, नियमित रूप से बाड़ों में कीटनाशक दवा का प्रयोग करें । जिन मुर्गियों पर कीड़े दिखाई दें उन पर भी कीटनाशक दवा का छिड़काव करायें ।

नागरिक अधिकार पत्र
पशुपालन विभाग

पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना वर्ष 1994 में की गई । इससे पूर्व सिविल वेटनरी डिपार्टमेन्ट एवं कृषि विभाग द्वारा ही पशुपालन संबंधी कार्य सम्पादित किये जाते थे । उस समय पशुपालन विभाग मुख्यतः पशुरोग नियंत्रण एवं अश्व प्रजनन का कार्य करता था। बाद में पशुपालन विभाग के स्थापना होने पर सर्वांगीण विकास करने हेतु पशुचिकित्सा एवं रोग नियंत्रण के साथ–साथ पशुधन विकास प्रजनन एवं चारा विकास आदि कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये । वर्तमान में पशुपालन विभाग ग्राम्य विकास से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विभाग है जो किसानों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संकल्पित है।

विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का उद्देश्य

1. समन्वित पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा पशुधन रखना तथा उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग ।
2. विभागीय एवं वैज्ञानिक नीतियो से विभिन्न पशुधन की प्रजनन व उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा स्वदेशी पशुधन प्रजातियों का संरक्षण एवं संवर्धन करना ।
3. पशुधन हेतु पर्याप्त चारा एवं पोषण की व्यवस्था करना तथा उन्नत पशु प्रबन्ध विधियों का प्रचार–प्रसार करना ।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों का गांवों मे ही रोजगार के अवसर प्रदान कर उनका सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन तथा उद्यमिता विकास और उसमें व्यवसायिक विविधीकरण हेतु चेतना जागृति करना ।
5. गो नस्ल गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण रखना ।
6. प्रदेश में विभिन्न पशुधन उत्पादों की क्षमता में वृद्धि कर दूध, ऊन, अण्डा व मांस आदि का उत्पादन बढ़ाना तथा पशुपालकों को उनके उत्पादों का समुचित मूल्य उपलब्ध कराना ।

पशुपालकों एवं ग्रामीणों के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता

पशुपालन विभाग द्वारा किसानों के समग्र सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु निम्न सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं ।

1. पशुचिकित्सा एवं रोगों के रोकथाम हेतु निरन्तर सेवायें पशुचिकित्सालयों, पशुसेवा केन्द्र व ''द'' श्रेणी औषधालयों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में पशुचिकित्सालय तथा पशु सेवा केन्द्र उपलब्ध है।
2. विषय विशेषज्ञों द्वारा पशु चिकित्सालय में शल्य क्रिया एवं एक्स–रे आदि विभिन्न रोग निदान सेवाऐ पशुपालकों को पशुचिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पॉलीक्लीनिक की स्थापना की जानी प्रस्तावित है।
3. विभिन्न पशु बीमारियों के नियंत्रण हेतु सघन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। गलाघोटू, बी0क्यू0, खुरपक्का–मुहपक्का, पी0पी0आर0 रोग, शीप पॉक्स, एफ0पी0आर0डी0 का टीकाकरण सम्पादित किया जाता है, साथ ही पशुमेला तथा हाटों में पशुओं के संक्रामक रोगों से बचाव हेतु टीका करना अनिवार्य किया जा रहा है।
4. पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु पशुपालन को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायत से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
5. पशुओं में खुरपका–मुंहपका बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त करने हेतु पशुपालकों को भारत सरकार की 75 प्रतिशत सहायता से टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
6. रिन्डर पेस्ट घातक बीमारी प्रदेश में समाप्त हो चुकी हैं, परन्तु इस बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से निरन्तर सीरोसर्वेलन्स एवं मॉनिटरिंग किया जा रहा है।
7. निदेशालय स्थित डिजीज सर्वेलेन्स एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रदेश में पशुओं की 10 प्रमुख बीमारी तथा अन्य प्रचलित बीमारियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के

उद्देश्य से रोग सर्वेलेन्स का कार्य निष्पादित किया जा रहा है।

8. वर्तमान समय में पशुओ कें उर्वरकता में ह्रास की जटिल समस्या हो रही है। जिसके निवारण हेतु विशेष बांझपन निवारण शिविर लगाकर पशुपालकों को सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
9. पशुधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से गायों एवं भैंसों में संकर प्रजनन, कृत्रिम गर्भाधान तथा नैसर्गिक अभिजनन द्वारा किया जा रहा है । प्रजनन कार्यक्रम को सुदृढ़ करने हेतु उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से गाय, भैंस प्रजनन कार्यक्रम की निरन्तरता के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
10. प्रजनन अच्छादन को 23.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किये जाने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी वर्षों हेतु पशु प्रजनन नीति बनाई गई है। ऊपर वर्णित विभागीय संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान की सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु स्वरोजगार सृजन कर पैरावेट की व्यवस्था की गई है।
11. प्रदेश में गोवध पर प्रतिबन्ध लगाने हेतु गोवध निवारण अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है।
12. पंजीकृत गौशालाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्वदेशी अधिनियम अंगीकृत कर लागू कराया जा रहा है।
13. हरे चारे की व्यवस्था में बायोमास, प्रमाणित चारा बीज उत्पादन, मिनीकिटों द्वारा चारा प्रदर्शन तथा सिल्वीपाश्चर विकास पर बल देते उन्नतशील चारा बीज के मिनीकिटों का वितरण किया जा रहा है।
14. भेड़ प्रजनन कार्यक्रम में सामूहिक दवापान आदि की सुविधा उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध किया जा रहा है।
15. बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने हेतु स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार एवं अन्य सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के युवक, युवतियों को लाभान्वित करने के लिए मिनी डेयरी, बेकरी, सूकर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना कराई जा रही है । साथ ही विभाग द्वारा उनके लिए उक्त हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।
16. प्रदेश के नागरिकों को आरोग्यदायी एवं स्वच्छ मांस उपलब्ध कराने हेतु वधाशालाओं पर विभाग गुणवत्ता मांस उत्पादन सुनिश्चित कराने की व्यवस्था

की जा रही है।